M.P. State Captive or In House Placement Policy 2017

Under Employment through Skill Training & Placement(EST&P)
Of MP-DAY-SULM

म.प्र. डे–राज्य शहरी आजीविका मिशन
संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र. शासन
पालिका भवन, बस स्टॉप नम्बर–6, शिवाजी नगर, भोपाल म.प्र.

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र. शासन
म.प्र. डे–राज्य शहरी आजीविका मिशन

M.P. State Captive or In House Placement Policy2017
(under MP-DAY-NULM)

1. प्रस्तावना :

आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार की गरीबी उपशमन हेतु महत्वांकाक्षी योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन मध्यप्रदेश के 50 हजार से अधिक जनसंख्या वाले 70 नगरीय निकायों में लागू है। इसके अन्तर्गत शहरी गरीब परिवारों की संवहनीय आजीविका हेतु रोजगार एवं स्वरोजगारमूलक गतिविधियों से जोडा जाना है। गरीब परिवार द्वारा अपनायी जाने वाली आजीविका गतिविधि के प्रभावी कियान्वयन एवं संवहनीयता हेतु Employment through Skill Training & Placement(EST&P) घटक अन्तर्गत कौशल विकास प्रशिक्षण का प्रावधान किया गया है। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा 2009 से लागू नीति में मूलभूत संशोधन कर 2015 में संशोधित राष्ट्रीय कौशल विकास नीति लागू की गई । इस नीति के अनुसार कौशल विकास प्रशिक्षण से संबंद्व सभी विभाग, मंत्रालय तथा संस्थान कॉमन नार्मस् का पालन करेगे। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के द्वारा कौशल विकास प्रशिक्षण की प्रचलित मार्गदर्शिका 13 दिसम्बर 2013 संलग्नक–1 में कॉमन नार्मस् के आधार पर संशोधन कर 18.2.2016 एवं 13 जुलाई 2017 को संशोधित मार्गदर्शिका अधिसूचित कर दी है जो 1 अप्रैल 2017 से प्रभावी है।

2. **Captive or In House Placement की आवश्यकता क्यों ?**

वर्तमान में प्रदेश की 70 निकायों द्वारा पृथक–पृथक रूप से प्रशिक्षण संस्थाओं को आर.एफ.पी. के माध्यम से चयनित कर निकाय क्षेत्र में विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। आर.एफ.पी. से चयन में ऐसे प्रशिक्षण प्रदाता शामिल हो जाते है, जिनका नियोक्ता कम्पनी से कोई करार/अनुबंध नहीं होता है और प्रशिक्षण उपरांत हितग्राही का समुचित प्लेसमेन्ट नहीं हो पाता है। साथ ही जिनके पास स्वयं की अधोसंरचना एवं आवश्यक उपकरणों का अभाव रहता है और वे प्रशिक्षण हेतु अधोसंरचना किराये पर लेकर प्रशिक्षण कार्य पूरा करते है तथा बाद में रोजगार हेतु नियोक्ता कम्पनी के चक्कर लगाते है। इसमें शतप्रतिशत हितग्राहियों को प्रशिक्षण उपरांत रोजगार नहीं मिल पाता है। और योजना का उद्देश्य भलीभॉति पूरा नहीं हो पाता है।

ऐसी स्थिति में केप्टीव प्लेसमेन्ट प्रदान करने वाली कम्पनी/संस्थान के साथ सीधे समन्वय कर प्रशिक्षण एवं प्लेसमेन्ट कार्यक्रम का आयोजन किया जाना ज्यादा प्रभावी, परिणाममूलक एवं सुविधाजनक होगा।

गरीब परिवार के सदस्यों का कौशल उन्नयन कर शतप्रतिशत प्लेसमेन्ट उपलब्ध कराने के लिये कम्पनी से सीधे जुडना ज्यादा प्रभावी है क्योंकि कम्पनी अपनी मांग के आधार पर स्वयं कौशल विकसित कर रोजगार प्रदान करती है जिससे कम्पनी को समय–सीमा में कुशल मानव संसाधन मिल जाता है और युवाओं को उचित पारिश्रमिक सहित शतप्रतिशत रोजगार मिल जाता है। यदि ऐसी कम्पनियों के साथ आजीविका मिशन जुडकर कार्य करता है तो मिशन एवं कम्पनी दोनों के लिये फायदेमन्द होगा। कम्पनी को समय एवं पैसे की बचत होगी और मिशन के लक्षित कम से कम 70 प्रतिशत हितग्राहियों को सुनिश्चित रोजगार की प्राप्ति हो सकेगी।

3. **Captive or In House Placement** के संबंध में कौशल प्रशिक्षण एवं प्लेसमेन्ट मार्गदर्शिका क्या कहती है?

इस हेतु मंत्रालय आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा आदेश क्र. F.No.K-14014/58(8)/2012-UPA निर्माण भवन, नई दिल्ली दिनांक 13 दिसम्बर 2015 को जारी कौशल प्रशिक्षण एवं प्लेसमेन्ट के द्वारा रोजगार अर्थात Employment through Skill Training & Placement(EST&P) मार्गदर्शिका की कण्डिका–5.1 के पैरा–3 के अनुसार "**राज्य शहरी आजीविका मिशन औद्योगिक संघ एवं घरोनों के साथ कौशल प्रशिक्षण करा सकता है जो प्रशिक्षित हितग्राहियों को स्वयं की कम्पनी/संघ में रोजगार प्रदान करते है**"।

4. **Captive or In house Placement** हेतु कम्पनी/फर्म चयन प्रकिया :

वर्तमान में Captive Placement कम्पनी/संस्थाओं के चयन की निर्धारित प्रकिया नहीं है, अतः निम्नानुसार प्रकिया प्रस्तावित की जाती है :–

Captive or In House Placement कम्पनियों का चयन राज्य शहरी आजीविका मिशन(SULM) द्वारा किया जायेगा। इस हेतु इच्छुक कम्पनी/फर्म अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकेगी या/और SULM ऐसी संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रित कर सकेगी। सेक्टर एवं कोर्स अनुसार कम्पनी का चयन निम्नानुसार बिन्दुओं के आधार पर मिशन संचालक, SULM द्वारा किया जायेगा :–

4.1. कम्पनी की न्यूनतम योग्यता/अर्हता :

1. कम्पनी/ प्रतिष्ठान कम्पनी/सोसायटी/फर्म/ट्रस्ट अधिनियम आदि में पंजीकृत होना चाहिए।

2. कम्पनी एन.एस.डी.सी. या संबंधित सेक्टर स्किल काउन्सिंल के साथ संबंद्ध होना चाहिए।

3. कम्पनी के पास एन.एस.क्यू.एफ. कम्प्लाईन्ट कोर्स के अनुसार मूलभूत अधोसंरचना युक्त प्रशिक्षण केन्द्र होना चाहिए।

4. कम्पनी मूल कम्पनी स्वयं एवं सहयोगी कम्पनी में शतप्रतिशत उत्तीर्ण हितग्राहियों को रोजगार प्रदान करेगी। सहयोगी कम्पनी होने पर कम्पनी का सहयोगी कम्पनी के साथ वैधानिक अनुबंध अथवा मण्डल संकल्प (Board Resolution) नियोजन हेतु प्राधिकृत करने बावत् पारित होना चाहिए।

5. कम्पनी को प्रशिक्षण शुल्क राशि का न्यूनतम 30% व्यय वहन करना होगा।

6. प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षणार्थियों को On Job training की दशा में मासिक भत्ता Stipend के रूप में प्रतिमाह कम्पनी द्वारा यथासंभव देय होगा।

7. यथा सम्भव कम्पनी को प्रशिक्षण स्थान से बाहर से आने वाले प्रशिक्षणार्थियों को आवास एवं भोजन की सुविधा प्रदान करनी होगी।

8. कम्पनी के द्वारा केवल एन.एस.क्यू.एफ. कम्प्लाईन्ट कोर्स का ही संचालन करना होगा।

9. समान क्षेत्राधिकार होने पर सर्वाधिक प्रशिक्षण शुल्क एवं अन्य सर्वाधिक सुविधाएँ प्रदान करने वाली कम्पनी को वरीयता दी जायेगी।

10. SULM द्वारा समय–समय पर दिए गए निर्देशों का पालन करने का वचन पत्र देना होगा।

5. कियान्वयन दिशानिर्देश/रणनीति :

5.1. SULM द्वारा चयनित कम्पनी/संस्था के साथ अनुबंध निष्पादित किया जायेगा।

5.2. SULM केप्टिव संस्थान के आस–पास के नगरीय निकायों की मांग एवं आवश्यकता का आंकलन कर निकायों को लक्ष्य निर्धारित करेगे।

5.3. चयनित कम्पनी/संस्था को कार्यादेश SULM के द्वारा जारी किया जायेगा।

5.4. संस्थानों की सूची एवं लक्ष्य के आधार पर क्षेत्रीय निकाय निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप हितग्राहियों का चयन Captive placement प्रदाता की सहमति से करेगा।

5.5. क्षेत्रीय निकाय हितग्राहियों के प्रशिक्षण कार्य की निरन्तर मॉनीटरिंग एवं बायोमैट्रिक उपस्थिति सुनिश्चित करेगे एवं प्रशिक्षण के संबंध में NULM की मार्गदर्शिका के प्रावधानों का पालन करना होगा।

5.6. नगरीय निकाय हितग्राहियों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करते हुये, उनका भौतिक सत्यापन करेगें तथा संस्था को नियमानुसार भुगतान करने हेतु मिशन कार्यालय को अनुसंशा सहित प्रस्ताव प्रेषित करेगें तथा रिपोर्ट एम.आई.एस. में प्रविष्ट करेगे।

6. मिशन के द्वारा सीधे होने वाले अन्य व्यय का विवरण :

1. प्रशिक्षणार्थियों के एसेसमेन्ट एवं मूल्यांकन शुल्क का भुगतान नियमानुसार एसेसमेन्ट एजेन्सी को किया जायेगा।

2. सफल प्रशिक्षणार्थियों को Post Placement Support राशि का Direct Benefit Transfer (DBT) के माध्यम से सीधा भुगतान।

3. सफल प्रशिक्षणार्थियों को Transportation Support राशि का Direct Benefit Transfer(DBT) के माध्यम से सीधे वास्तविक एवं नियमानुसार पुनर्भुगतान किया जायेगा।

4. प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रारम्भ होने के 10 दिवस में नियमानुसार Uniform Support प्रदान किया जायेगा।

7. प्रशिक्षणार्थियों का चयन :

1. हितग्राहियों के चिन्हांकन हेतु कम्पनी एवं नगरीय निकाय द्वारा संयुक्त रूप से प्रचार प्रसार किया जायेगा।
2. कोर्स हेतु निर्धारित योग्यता एवं अर्हता के आधार पर प्रशिक्षण हेतु पात्र हितग्राहियों का चिन्हांकन संबंधित निकाय के द्वारा Captive placement संस्था की सहमति से किया जायेगा।
3. कोर्स हेतु निर्धारित योग्यता एवं आहरता के आधार पर निकाय द्वारा चिन्हित हितग्राहियों की सूची में से काउन्सलिंग उपरांत इच्छुक प्रशिक्षणार्थियों का चयन कम्पनी द्वारा किया जायेगा।
4. प्रशिक्षण में समस्त वर्गो जैसे :– अजा, अजजा, महिला, दिव्यांग, अल्पसंख्यक, आदि को निर्धारित प्रतिशत अनुसार प्रशिक्षणार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित की जावेगी।

8. अनुबंध अवधि :

चयनित कम्पनी के साथ प्रारम्भिक स्तर पर तीन वर्ष हेतु अनुबंध निष्पादित किया जायेगा परन्तु अनुबंध की प्रगति की समीक्षा वार्षिक आधार पर की जायेगी जिसके आधार पर अनुबंध अवधि को बढाया अथवा घटाया जा सकेगा।

9. कम्पनी/फर्म का भुगतान नियम :

9.1 अनुबंधित कम्पनी को अनुबंध अनुसार कम्पनी अंश(Contribution) को छोड़कर शेष प्रशिक्षण शुल्क राशि का भुगतान 20:20:40:20% की चार किश्तों में निकाय की सम्यापन रिपोर्ट एवं अनुशंशा के आधार पर मिशन कार्यालय द्वारा किया जायेगा। भुगतान के मापदण्ड एवं शर्तें निम्नानुसार है :

Installment & % of cost	Output Parameter	Timelines
1st Installment: 20%	Commencement of training batch	15 days after commencement of training based on Aadhar based attendance. The candidate should have attended at least 10 days out of 15 working days from the start date of the batch.
2nd Installment: 20%	The number of candidates qualified for payment should have minimum of 80% attendance & qualified for assessment.	Completion of the training as per the duration of the course. Distribution of interim training certificate of STP to trainees by second party in presence of ULB/SULM/local elected representatives.
3rd Installment: 40% .	Placed Candidates would be verified before qualifying for payment. More than 70% should be placed in the organization to release the payment.	On completion of training, Certification and placement of successful candidates. After retention of more than 70% placed candidates for minimum 3 months in the placements provided by the Second Party. On submission of 1st 3 month tracking report of trained and placed candidates report.
4th Installment: 20%	Placed Candidates would be verified after one year to approve the payment. At least 70% should be working for 6 months in the organization to release the payment.	After retention of the candidates for minimum 6 months in the placements provided by the Second Party. Tracking once in a month to be done by the STP for 12 months and submit the status report.

9.2 कम्पनी को भुगतान किश्त हेतु निर्धारित शर्तों एवं मापदण्डों के आधार पर सिटी मिशन मैनेजर–स्किल्स के सत्यापन एवं आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी की अनुसंशा रिपोर्ट के आधार पर किया जायेगा।

10. मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन :

10.1. **प्रशिक्षण केन्द्र का सत्यापन :–** कम्पनी एवं फर्म के द्वारा स्थापित प्रशिक्षण केन्द्र की अधारभूत अधोसंरचना एवं आवश्यक उपकरणों का भौतिक सत्यापन सिटी मिशन मैनेजर–स्किल्स के माध्यम किया जायेगा, तदोपरांत प्रशिक्षण प्रारम्भ किया जावेगा।

10.2. **प्रशिक्षणार्थियों का सत्यापन :** प्रशिक्षणरत हितग्राहियों, नियोजित हितग्राहियों के वेतन संबंधी दस्तावेजो , प्रशिक्षक आदि का भौतिक सत्यापन नियमित रूप से सिटी मिशन मैनेजर–स्किल्स के माध्यम से किया जायेगा।

10.3. **प्रशिक्षणार्थियों की ट्रेकिंग :** प्रशिक्षण उपरांत 12 माह तक की ट्रेकिंग रिपोर्ट का भौतिक सत्यापन सिटी मिशन मैनेजर–स्किल्स एवं गठित समिति के द्वारा किया जायेगा।

10.4 प्रशिक्षण केन्द्र एवं प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण कार्य का निरीक्षण आयुक्त, नगरपालिक निगम एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी स्वयं करेगें तथा आवश्यक दिशानिर्देश जारी करेगें।

11. **एसेसमेन्ट एवं प्रमाणीकरण :** प्रशिक्षित हितग्राहियों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य सर्टिफिकेट प्रदान किया जाना है। इस हेतु प्रमाण–पत्र भारत सरकार द्वारा अधिकृत प्रमाणीकरण एजेन्सी अर्थात एन.सी.व्ही.टी./एस.एस.सी. द्वारा सफल प्रशिक्षणार्थियों को जारी किया जायेगा। प्रशिक्षणार्थियों का एसेसमेन्ट भारत सरकार द्वारा अधिकृत एजेन्सी एन.सी.व्ही. टी./एस.एस.सी. द्वारा किया जायेगा। एसेसमेन्ट कराने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रशिक्षण एजेन्सी की है। प्रशिक्षण एजेन्सी एसेसमेन्ट प्रकिया का विडियों रिकार्डिग कराकर बिल भुगतान के समय प्रस्तुत करेगी। भारत सरकार द्वारा निर्धारित एसेसमेन्ट शुल्क का भुगतान मिशन कार्यालय द्वारा किया जायेगा।

12. **प्रशिक्षण कोर्स एवं अवधि :** कम्पनी के द्वारा केवल एन.एस.क्यू.एफ. कम्प्लाईन्स एन.सी.व्ही. टी(एम.ई.एस.)/एस.एस.सी. कोर्स का संचालन किया जायेगा। न्यूनतम 200 घण्टे अवधि के कोर्स का संचालन किया जायेगा। प्रतिदिन न्यूनतम 4 घण्टे एवं अधिकतम 8 घण्टे प्रशिक्षण संचालित किया जा सकता है।

13. **अनुबंध निरस्त करने की शर्ते :**

किसी भी संस्था जिसके साथ SULM द्वारा अनुबंध निष्पादित किया गया है अगर अनुबंध की शर्तो का उल्लंघन पाया जाता है अथवा विहित ढंग से गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण एवं प्लेसमेन्ट नहीं पाया जाता है तो मिशन संचालक SULM द्वारा ऐसी संस्थाओं का अनुबंध निरस्त कर अनुबंध की शर्तो अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

उपरोक्त नेयमों एवं शर्तो के आधार पर अनुबंधित कम्पनी/फर्म और राज्य शहरी आजीविका मिशन, भारत सरकार एवं म.प्र.शासन द्वारा कौशल प्रशिक्षण एवं प्लेसमेन्ट के द्वारा रोजगार को कियान्वयन मार्गदर्शिका/नियम/शर्ते में समय–समय पर किये गये संशोधन मानने के लिये बाध्य होगी।

(विभाग द्वारा अनुमोदित)

मिशन संचालक
नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल